दिनांक 06.02.2018 को कृषि निदेशक, बिहार की अध्यक्षता में सभी संयुक्त निदेशक (शष्य) एवं जिला कृषि पदाधिकारियों के साथ आयोजित विडियो कॉफ्रेंस की कार्यवाही :–

1. **जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम :–**

1.1 इस योजना अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 12977.00 लाख रू0 के विरूद्ध अभी तक 6305.14 लाख रू0 (49 प्रतिशत) की निकासी हुई है। अभी तक अररिया में 6 प्रतिशत, लखीसराय में 12 प्रतिशत, वैशाली में 13 प्रतिशत, बक्सर में 15 प्रतिशत, भागलपुर में 17 प्रतिशत एवं जहानाबाद में 19 प्रतिशत राशि की निकासी की गई है। नवादा, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, मधुबनी, मधेपुरा, पटना, खगड़िया, मुंगेर एवं सीतामढ़ी में भी अभी तक 40 प्रतिशत से कम राशि की निकासी की गई है।

निदेश दिया गया कि जितना भी वर्मी कम्पोस्ट एवं बायोगैस यूनिट का स्वीकृति पत्र निर्गत किया गया है, उसका प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक से जाँच कराकर राशि की निकासी कर कृषकों को भुगतान कर दी जाय। उपादान वितरण वाले घटकों को भी उपलब्धि अभी ही कर लेने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

1.2 जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम वाले 9 जिलों में कृषक समूह का गठन एवं निबंधन की स्थिति की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी जिलों में कृषक समूह का गठन हो गया है। नालन्दा एवं वैशाली में निबंधन हो गया है। पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, खगड़िया एवं मुंगेर में निबंधन की प्रक्रिया की जा रही है। निदेश दिया गया कि सभी जिले कृषक समूह के निबंधन होने के उपरान्त किसानों की पूरी सूची बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेन्सी, पटना को ई–मेल द्वारा भेज देंगे। सूची भेजने के बाद उपादान वितरण का कार्य प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया क्योंकि फरवरी माह में ही सब्जी लगती है।

(अनु0–सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

2. **<u>उर्वरक/पी0ओ0एस0 मशीन :–</u>**

2.1 निदेश दिया गया कि सभी थोक उर्वरक विक्रेता एवं खुदरा उर्वरक विक्रेता को आगाह कर दें कि जितनी भी उर्वरक की बिक्री होगी वह पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से ही होगी। अन्यथा भविष्य में परेशानी हो सकती है। केन्द्रीय स्तर पर इसका विश्लेषण किया जा रहा है।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

2.2 नये खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को तिथि निर्धारित कर क्रैम्प मोड में पी0ओ0एस0 मशीन उपलब्ध कराने तथा सभी जिलों में 10–10 अतिरिक्त मशीन उपलब्ध कराने का निदेश पी0ओ0एस0 मशीन उपलब्ध कराने वाले एजेन्सियों को दिया गया।

(अनु0–सभी राज्य प्रबंधक, उर्वरक कम्पनी)

2.3 निदेश दिया गया कि पी0ओ0एस0 मशीन से सम्बंधित जितनी भी शिकायतें आ रही है उनका Retailer ID Wise संधारण किया जाय, ताकि आ रही शिकायतों का निराकरण किया जा सके।

2.4 निदेश दिया गया कि उर्वरक की कीमत पर निगरानी रखी जाय। बैग पर अंकित कीमत पर ही उर्वरक की बिक्री करायें। पुराना स्टॉक की पहले बिक्री की जाय। बाद में आने वाले स्टॉक की बिक्री बाद में कराई जाय।

(अनु0–कंडिका 2.3 से 2.4–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

3. **बीज/उर्वरक/कीटनाशी अनुज्ञप्ति :–**

3.1 लम्बित अनुज्ञप्ति की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बीज/उर्वरक/कीटनाशी बिक्री केन्द्रों एवं गोदामों का स्थल जाँच प्रतिवेदन जिलों में लम्बित रहने के कारण राज्य स्तर से इनकी अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं हो पा रही है। बीज अनुज्ञप्ति हेतु स्थल जाँच प्रतिवेदन सीवान में 07, पटना में 13, वैशाली में 6, गोपालगंज में 2, नालन्दा में 1, मुजफ्फरपुर में 6, बेगूसराय में 8, समस्तीपुर में 2, मधुबनी में 1, पूर्णिया में 3, सारण में 5, गया में 6, पूर्वी चम्पारण में 1, भोजपुर में 1, रोहतास में 1, औरंगाबाद में 1, कटिहार में 1 एवं अररिया में 1 लम्बित है। निदेश दिया गया कि बीज/उर्वरक/कीटनाशी के सभी लम्बित स्थल जाँच प्रतिवेदन दिनांक 07.02.2018 तक मुख्यालय को अवश्य उपलब्ध करा दें। इस सप्ताह विभाग का मुख्य कार्य लंबित अनुज्ञप्ति का निष्पादन ही रहेगा।

(अनु0–सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

3.2 बीज ग्राम योजना वर्ष 2014–15 की राशि को Revalidate कराकर कुल 8.15 करोड़ रू0 जिलों को भेजा गया है। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अविलम्ब इसकी निकासी कर बी0आर0बी0एन0 को उपलब्ध करा दिया जाय।

3.3 मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम, एकीकृत बीज ग्राम योजना एवं अनुदान पर बीज वितरण का प्रतिवेदन गूगल डॉक पर लोड करने का निदेश दिया गया ताकि समेकित प्रतिवेदन तैयार कर उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत किया जा सके।

(अनु0–कंडिका 3.2 से 3.3–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

4. **विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत राशि की निकासी की स्थिति :–**

बार–बार निदेश दिये जाने के बावजूद भी राशि की निकासी एवं कोषागार में लम्बित विपत्र को मिलाकर अभी भी अरवल, भागलपुर, दरभंगा, जहानाबाद, मधेपुरा, सुपौल एवं पश्चिम चम्पारण की उपलब्धि 45 प्रतिशत से कम है। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि इस सप्ताह तक 60 प्रतिशत एवं फरवरी माह के अन्त तक कम से कम 70 प्रतिशत राशि की निकासी सुनिश्चित की जाय।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

5. **कृषि समन्वयक की नियुक्ति :–** निदेश दिया गया कि किसी भी कृषि समन्वयक का दो साल तक स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। किसी भी कृषि समन्वयक की प्रतिनियुक्ति कार्यालय/मुख्यालय/प्रयोगशाला या किसी दूसरे प्रखण्ड में नहीं की जायेगी। इन्हें प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी का प्रभार भी नहीं दिया जायेगा। जिस प्रखण्ड/पंचायत में कृषि समन्वयक का पदस्थापन नहीं हुआ है वहाँ किसान सलाहकार पूर्ववत् कार्य करते रहेंगे।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

6. <u>कृषि यांत्रिकीकरण योजना :–</u>

6.1 कृषि यांत्रिकरण राज्य योजना की समीक्षा के क्रम में 15% से भी कम व्यय करने वाले जिले यथा– भागलपुर, मुंगेर, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, रोहतास, अररिया, बेगुसराय, मधेपुरा एवं नवादा को प्रगति में तेजी लाने हेतु विशेष अभियान चलाने का निदेश दिया गया। साथ ही तीन जिले यथा– जहानाबाद, औरंगाबाद, एवं अररिया में अबतक एक भी कृषकों के खाते में अनुदान राशि हस्तांतरित नहीं की गयी है, उन्हें अविलंब लाभार्थी के खाते में अनुदान राशि के हस्तांतरण का निदेश दिया गया।

(अनु0–सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

6.2 सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को सूचित किया गया कि कृषि यांत्रिकरण राज्य योजना एवं हरित क्रांति योजना (BGREI) अन्तर्गत पम्पसेट का भौतिक लक्ष्य माँग आधारित कर दिया गया है जबकि वित्तीय लक्ष्य सम्बंधित जिले की निर्धारित वित्तीय अधिसीमा के अंदर है।

6.3 कृषि यांत्रिकरण सॉफ्टवेयर को कृषि समन्वयक का User ID एवं पासवर्ड अपडेट करने हेतु एक सप्ताह के लिए Open किया गया है। जिन जिलों में कृषि समन्वयक का पदस्थापन नहीं हुआ है, वहाँ आवेदन एवं यंत्रों का सत्यापन कार्य किसान सलाहकार द्वारा किये जाने का निदेश दिया गया।

6.4 सभी जिला कृषि पदाधिकारी को L.G. Directory के अनुसार प्रखंड/पंचायत/वार्ड/नगर पंचायत आदि की सूची अपडेट कराने हेतु जिला पंचायत राज पदाधिकारी से संपर्क करने का निदेश दिया गया। राज्य नोडल पदाधिकारी (यांत्रिकरण) द्वारा बतलाया गया कि जिलों से प्राप्त स्थानीय निकायों आदि की वास्तविक सूची L.G. Directory में प्रविष्टि हेतु निदेशक पंचायती राज विभाग को कृषि निदेशालय स्तर से भेजी जा चुकी है।

6.5 Agro Bihar 2018 में किसानों एवं कृषि यंत्र विक्रेताओं को गाँधी मैदान, पटना में लाने हेतु आवश्यक तैयारी पूर्ण करने का निदेश सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को दिया गया।

(अनु0–कंडिका 6.2 से 6.4– सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

7. <u>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन :–</u> रा0खा0सु0मि0 वर्ष 2015–16 का लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार से समायोजित हो जाने के बावजूद भी मुंगेर, जहानाबाद, वैशाली, सारण, अररिया, सीतामढ़ी, किशनगंज, पटना में इस वर्ष राशि की निकासी नहीं की गई है। जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास, पश्चिम चम्पारण, बक्सर, नवादा एवं शेखपुरा द्वारा अभी तक मुख्यालय को वर्ष 2015–16 का उपयोगिता प्रमाण–पत्र समायोजन हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है। निदेश दिया गया कि उपयोगिता प्रमाण–पत्र के अभाव में यदि राशि की निकासी नहीं हो पायेगी तो इसकी सारी जिम्मेवारी सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी की होगी।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

8. <u>वर्षाश्रित क्षेत्र विकास योजना (आर0ए0डी0) :–</u> वित्तीय वर्ष 2017–18 की योजना में अभी तक रोहतास, जमुई एवं कैमूर में राशि की निकासी शेष है। जमुई में कुल आवंटन 18 लाख रू0 के विरूद्ध 10 लाख रू0 की निकासी हुई है। सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारियों को अविलम्ब राशि की निकासी करने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी)